

प्रेस नोट दिनांक 15.10.2024 जनपद प्रतापगढ़

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चेकिंग के लिए दिए गये थे सख्त निर्देश-

अवैध रूप से पटाखा निर्माण कर रहे 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज कैथोला (कौशल्यापुर) में घर पर बना रहे अवैध पटाखा बरामद-

24 अदद अर्धनिर्मित बम व पटाखे 15 Kg (बारूद, शोरा, पोटस से बने हुए अर्धनिर्मित) व पटाखे बनाने की सामग्री बरामद की गई-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/ बेचने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में उ०नि० विवेक कुमार मय हमराह उ०नि० कवीरदास , उ०नि० अशोक कुमार यादव हे०का० जाहिद हुसैन द्वारा देखभाल क्षेत्र, पेड़िंग विवेचना, चेकिंग संदिग्ध वाहन, दीपावली त्यौहार के दृष्टिगत विस्फोटक सामग्री चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर दिनांक 15.10.2024 को थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत रानीगंज कैथोला (कौशल्यापुर) में घर पर बना रहे 02 अभियुक्तों, 01. वसीर अहमद पुत्र यार मोहम्मद निवासी रानीगंज कैथोला (कौशल्यापुर) थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58वर्ष 02. वारिस अहमद पुत्र वसीर अहमद निवासीरानीगंज कैथोला (कौशल्यापुर) थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से 24 अदद अर्धनिर्मित बम व पटाखे 15 Kg (बारूद, शोरा, पोटस से बने हुए अर्धनिर्मित) व पटाखे बनाने की सामग्री बरामद बरामद की गई । उक्त बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर धारा 5/9(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 बनाम 02 अभियुक्त, वसीर अहमद, वारिस अहमद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तों का विवरण-

01. वसीर अहमद पुत्र यार मोहम्मद निवासी रानीगंज कैथोला (कौशल्यापुर) थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 58 वर्ष ।

02. वारिस अहमद पुत्र वसीर अहमद निवासीरानीगंज कैथोला (कौशल्यापुर) थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 26 वर्ष ।

पुलिस टीम- उ0नि0 विवेक कुमार मय हमराह उ0नि0 कवीरदास ,उ0नि0 अशोक कुमार यादव हे0का0 जाहिद हुसैन थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।

बयान- अवैध विस्फोटक पदार्थ निर्माण/ भण्डारण व परिवहन पर प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा संख्त कार्यवाही की जायेगी । लाइसेंस धारक विस्फोटक पदार्थ निर्माण/भण्डारण व परिवहन का नियत स्थान पर सुरक्षा मानकों का पालन करें ।

थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़

थाना हथिगवां पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथिगवां के उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह का0 विजय कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान वाद सं0- 4679/21 अ0सं0-04/96 धारा 323/504 भादवि0 से संबंधित वारण्टी अभियुक्त अशोक पुत्र हरिलाल निवासी जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

अभियुक्त अशोक पुत्र हरिलाल निवासी जहानाबाद थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 प्रिन्स तिवारी मय हमराह का0 विजय कुमार थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज के उ०नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह का० रुद्रांश चौबे द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान केस नं०-5317/04 अ०सं०-122/2000 धारा 323/504/506 भादवि० से संबंधित वारण्टी अभियुक्त कमलाकांत उपाध्याय पुत्र बेनीमाधव निवासी ग्राम इमालीडाड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त का विवरण-

कमलाकांत उपाध्याय पुत्र बेनीमाधव निवासी ग्राम इमालीडाड थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० हरिमोहन राजपूत मय हमराह का० रुद्रांश चौबे थाना रानीगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त किया गया गिरफ्तार

एसपी डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में गैंगस्टर एक्ट का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, जो चोरी, गैंगस्टर एक्ट व अन्य आपराधिक कृत्य जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त था-

एसपी पूर्वी व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में गैंगस्टर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा दी जा रही थी दबिश-

गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी/ निगरानी आरक्षी रामाकान्त गौड़ थाना कोतवाली नगर द्वारा की जा रही थी आरक्षी रामाकान्त गौड़ के अथक प्रयास से गैंगस्टर दीपक कुमार उर्फ दिलीप कुमार को किया गया गिरफ्तार-

आरक्षी रामाकान्त गौड़ के सराहनीय कार्य के लिये पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय द्वारा आरक्षी रामाकान्त गौड़ को प्रशस्ति-पत्र से किया गया सम्मानित

चोरी, गैंगस्टर एक्ट व अन्य आपराधिक कृत्य जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त है अपराधी

गैंगस्टर दीपक कुमार उर्फ दिलीप कुमार पुत्र स्व लालचन्द्र गौड़ पर जनपद प्रतापगढ़ के थाना कोतवाली नगर में गम्भीर धाराओं अभियोग पंजीकृत है

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सगरा ढलान से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

प्रतापगढ़ ।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे प्रभावी कार्यवाही/ अभियान के तहत जनपदवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने एवं अपराध नियंत्रण के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के कुशल निर्देशन में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पर दिनांक 05.12.2023 को मु०अ०सं० 815/2023 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाम 05 अभियुक्त, 1- (गैंगलीडर) अभिषेक मौर्या व (गैंग के सदस्य) 2- दीपक कुमार उर्फ दिलीप कुमार 3- मनीष वर्मा 4- मो० चाँद उर्फ राजश्री 5-उमेश कुमार सोनी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी चेकिंग व अभियुक्त के संभावित स्थानों पर वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जानकारी कर दबिश दी जा रही थी-

इसी क्रम में दिनांक 14.10.2024 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिव नारायण वैश के पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक श्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में उ०नि० सतीश कुमार यादव मय हमराह हे०का० अजय कुमार, का० रमाकान्त गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी, विवेचना के दौरान गैंगस्टर दीपक कुमार उर्फ दिलीप कुमार पुत्र स्व लालचन्द्र गौड़ निवासी काशीराम कलोनी(मुर्गीफार्म) सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत सगरा ढलान से गिरफ्तार किया गया ।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त, (गैंग के सदस्य) 1- मनीष वर्मा, 2- मो० चाँद उर्फ राजश्री, 3-उमेश कुमार सोनी, पुर्व से जेल में निरुद्ध है । (गैंगलीडर) अभिषेक मौर्या की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर पुलिस टीम द्वारा दबिश दी जा रही है । उपरोक्त अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित की जायेगी।

पूर्व का घटना क्रम-

01. दिनांक-25.09.2023 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत शुकुलपुर में आरोपीगणों द्वारा वादी के घर की खिड़की तोड़ कर घर में घुसकर जेवरात, नगदी चोरी किये गये थे । जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०-643/23 धारा 454/380/411/414 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था । अभियुक्तों के

कब्जे से चोरी का माल बरामद हुआ था। बरामद माल के संबंध में मुकदमें में धारा-411, 414 की बढ़ोतरी की गई थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01- गैंगस्टर दीपक कुमार उर्फ दिलीप कुमार पुत्र स्व लालचन्द्र गौड़ निवासी काशीराम कलोनी(मुर्गीफार्म) सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

गैंगस्टर दीपक कुमार उर्फ दिलीप कुमार पुत्र स्व लालचन्द्र गौड़ निवासी काशीराम कलोनी(मुर्गीफार्म) सगरा थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-578/23 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

2- मु0अ0सं0-576/23 धारा 457/380 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

3- मु0अ0सं0-643/23 धारा 454/380/411/414 भादवि थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

4- मु0अ0सं0-815/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम:-

उ0नि0 सतीश कुमार यादव मय हमराह हे0का0 अजय कुमार, का0 रमाकान्त गौड़ थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

थाना कंधई पुलिस ने 01 चोर को दबोचा, चोरी का 01 मोबाइल फोन व साइकिल बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) व क्षेत्राधिकारी पट्टी के कुशल नेतृत्व में अपराध में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध एक्शन जारी।

ग्राम भैरोगंज से चोरी की 01 अदद मोबाइल व साइकिल बरामद, 01 चोर गिरफ्तार

प्रतापगढ़।

थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भैरोगंज से दिनांक 09.10.2024 को वादी का मोबाइल फोन व साइकिल चोरी होने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कंधई में मु0अ0सं0 261/2024 धारा 303 (2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया था।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना कंधई प्रभारी निरीक्षक श्री अवन दीक्षित के नेतृत्व में दिनांक 14.10.2024 थाना कंधई के उ०नि० राजेश कुमार मय हमराह का० अनूप मिश्रा, का० अनिल कुमार दक्ष द्वारा देखभाल क्षेत्र व तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त/चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भैरोगंज से 01 अभियुक्त गनेश तिवारी उर्फ सचिन पुत्र माधव प्रसाद तिवारी उर्फ मुकेश तिवारी निवासी ग्राम डड्वा महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़को चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन व साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन व साइकिल के बरामदगी के संबंध में धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1- गनेश तिवारी उर्फ सचिन पुत्र माधव प्रसाद तिवारी उर्फ मुकेश तिवारी निवासी ग्राम डड्वा महोखरी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु०अ०सं० 107/21 धारा 406/411/419/420 भादवि थाना पट्टी प्रतापगढ़।
02. मु०अ०सं० 266/20 धारा 294 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ प्रतापगढ़।
03. मु०अ०सं० 261/24 धारा 303(2) /317(2) बीएनएस थाना कन्धई ,प्रतापगढ़।

बरामदगी –

चोरी की 01 अदद मोबाइल फोन व साइकिल बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम पुलिस टीम - उ०नि० राजेश कुमार मय हमराह का० अनूप मिश्रा , का० अनिल कुमार दक्ष थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

गोवध अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त चन्दन कुमार के कब्जे से कुल 30 गोवंशों को किया गया बरामद

थाना बाघराय पुलिस टीम द्वारा नहर के बगल बाग ग्राम पंडित का पुरवा महाराजपुर से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्यवेक्षण में थाना बाघराय प्रभारी निरीक्षक श्री प्रदीप कुमार के नेतृत्व में आज दिनांक 15.10.2024 को उ०नि० दिनेश कुमार मय हमराह हे०का० महेश सिंह, का० शशांक राय व का० विजय सिंह द्वारा गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त चन्दन कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी पुरानी अबकारी (सदर मोड) चौकी मकन्दुगंज थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़ को 30 अदद गोवंशों के साथ थानाक्षेत्र बाघराय के नहर के बगल बाग ग्राम पंडित का पुरवा महाराजपुर से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से उक्त बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय पर मु०अ०सं० 338/24 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 (1) d पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. चन्दन कुमार पुत्र सुरेश कुमार निवासी पुरानी अबकारी (सदर मोड) चौकी मकन्दुगंज थाना को० नगर जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं और मेरे साथी जैद व बाबू, हिरो ने मिलकर कुछ 04-05 अज्ञात व्यक्ति जो तुरन्त मौके पर आ गये थे । मैं व मेरे सहयोगी मिलकर गोवंशो को एक चार पहिया गाडी में लादकर ले जा रहे थे कि आप लोग आ गये । जिस गाडी पर गोवंश लदे थे । मेरे साथी आप लोगों को आते देख कर गाडी को लेकर भाग गये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० दिनेश कुमार मय हमराह हे०का० महेश सिंह, का० शशांक राय व का० विजय सिंह थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही जारी,

एएसपी(पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अन्तर्राज्यीय 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अभियुक्त रिजवान व सूरज सोनकर के कब्जे से 04 अदद देशी बम व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत लेहदरी पिकेट बैरियर के पास से अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक(पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज धीरेन्द्र ठाकुर के नेतृत्व में उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह उ0नि0 रमाकांत त्रिपाठी, उ0नि0 दिलीप कुमार पाल, आरक्षी शैलेन्द्र सिंह, म0का0 नीतू यादव व का० दुर्वीन यादव द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनों की चेकिंग, रात्रि गश्त के दौरान दिनांक 14.10.2024 को 04 अदद देशी बम के साथ 02 अभियुक्तों, 01.रिजवान पुत्र मो0 अफसर निवासी परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ 02.सूरज कुमार सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी पूरे अली नकी नगर पंचायत मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को 04 अदद देशी बम व 01 अदद मोटर साइकिल के साथ थानाक्षेत्र के लेहदरी पिकेट बैरियर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार 02अभियुक्तों, 01.रिजवान पुत्र मो0 अफसर निवासी परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ 02.सूरज कुमार सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी पूरे अली नकी नगर पंचायत मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ के कब्जे से 04 अदद देशी बम बरामद किया गया । बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है । उक्त बरामद मोटर साइकिल का धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया ।

अभियुक्तों का विवरण-

01. रिजवान पुत्र मो0 अफसर निवासी परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।
02. सूरज कुमार सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी पूरे अली नकी नगर पंचायत मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

01. अभियुक्त रिजवान पुत्र मो0 अफसर निवासी परियावां थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 60/17 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 18/19 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 178/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

02. अभियुक्त सूरज कुमार सोनकर पुत्र फूलचन्द्र सोनकर निवासी पूरे अली नकी नगर पंचायत मानिकपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का अपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 216/11 धारा 323, 325, 504, 506 भादवि0 थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0-145/17 धारा-13 जुआ अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0-186/20 धारा-392, 332, 411 भादवि0 2/ 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 178/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 179/2024 धारा 115(2), 352, 351(2), 109, 288 बीएनएस0 थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. 04 अदद देशी बम बरामद।
02. 01 अदद मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 मिथलेश कुमार मय हमराह उ0नि0 रमाकांत त्रिपाठी, उ0नि0 दिलीप कुमार पाल, आरक्षी शैलेन्द्र सिंह, म0का0 नीतू यादव व का० दुर्वीन यादव थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

हत्या का प्रयास करने के अभियोग में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना मान्धाता पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम धरमपुर नहर के पास से 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

घटना का विवरण-

वादी मुकदमा के पिता को आरोपीगणों द्वारा पुराने विवाद की रंजिश रखते हुए उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करके घायल करने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 11.06.2024 को मु0अ0सं0 80/24 धारा 307, 323, 504, 506, 452 भादवि बनाम 03 अभियुक्त नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्यवेक्षण थाना मान्धाता प्रभारी निरीक्षक सुभाष कुमार यादव थाना मान्धाता के नेतृत्व में आज दिनांक 15.10.2024 को उ0नि0 सुभाष चन्द्र सिंह मय हमराह का0 रणवेन्द्र सिंह द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मूखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 80/24 धारा 307, 323, 504, 506, 452 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र मान्धाता के ग्राम धरमपुर नहर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मुकेश कुमार पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम धरमपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 सुभाष चन्द्र सिंह मय हमराह का0 रणवेन्द्र सिंह थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़